राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 2(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./91 पार्ट   जयपुर, दिनांक : 15/09/2021

परिपत्र

समस्त अति0 मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

विषयः–एक ही वित्तीय वर्ष में दोहरी पदोन्नति नहीं दिये जाने के संबंध में।

कार्मिक विभाग के ध्यान में आया है कि जिन पदों के मामलों में उच्च पद पर पदोन्नति हेतु निम्न पद पर अनुभव निर्धारित नहीं होकर कुल सेवा अवधि का प्रावधान है, वहां कुछ विभागों द्वारा एक ही कार्मिक को एक ही वर्ष में दो पदोन्नतियां प्रदान की जा रही हैं अर्थात् एक पद पर पदोन्नति उपरान्त कुल सेवा अवधि अनुसार पात्र होने के आधार पर उसी वर्ष में उच्च पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है।

किसी भी पद/संवर्ग में पदोन्नति करने से पूर्व संबंधित सेवा नियमों में एक अप्रैल की स्थिति के आधार पर वरिष्ठता सूची प्रकाशित किये जाने का प्रावधान है। विभागीय पदोन्नति समिति की तैयारी एवं आयोजन प्रथम अप्रैल की स्थिति में होता है। अतः वरिष्ठता सूची पदोन्नति वर्ष की प्रथम अप्रैल की स्थिति में तैयार की जाकर प्रसारित की जाती है। अतः नियमानुसार किसी भी कार्मिक का नाम एक अप्रैल को केवल एक ही पद जिस पर वह कार्यरत हो, की वरिष्ठता सूची में शामिल किया जा सकता है। उच्चतर पद जिस पर उसकी पदोन्नति सम्भावित है उस पद की वरिष्ठता सूची में किसी कार्मिक का नाम उसी वित्तीय वर्ष की एक अप्रैल को न आकर पदोन्नति के पश्चात् भविष्य में जारी होने वाली वरिष्ठता सूची में ही आ सकता है।

अतः जिन पदों के मामलों में उच्चतर किसी पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव की शर्त न होकर केवल कुल सेवावधि का प्रावधान है, उनके संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि एक ही वर्ष किसी पद पर पदोन्नति पाने के पश्चात किसी राजसेवक को उसी वर्ष में उच्च पद पर पदोन्नत नहीं किया जाकर पश्चातवर्ती वर्ष में 1 अप्रैल के आधार पर पदोन्नति पद की वरिष्ठता सूची में नाम शमिल होने के पश्चात ही पदोन्नति पर विचार किया जायेगा।

समस्त विभागाध्यक्षों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि कृपया पदोन्नति प्रकरणों में उक्त दिशा–निर्देश की पालना सुनिश्चित की जावे।

13/9/21

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

37/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

37/2021